न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **आलोक रंजन,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 015/2025 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 14.07.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/159

गोविन्द सिंह राणावत पुत्र देवी सिंह राणावत उम्र 65 वर्ष, निवासी नेतावलगढ़ पाछली, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–पटवारी, पटवार हल्का मानपुरा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बस्सी, प्रकरण संख्या 1352/2025 निर्णय दिनांक 15.05.2025

उपस्थितिः–1– श्री गौरव परमार, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 015/2025 (रा. अ.)
गोविन्द सिंह राणावत पुत्र देवी सिंह राणावत निवासी नेतावलगढ़ पाछली, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम पटवारी, पटवार हल्का मानपुरा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 18.02.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का ग्राम गोपालनगर, पटवार हल्का मानपुरा के आराजी नम्बर 875 रकबा 0.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 15.05.2025 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, बस्सी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील बस्सी के पटवार हल्का मानपुरा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम गोपालनगर की चारागाह आराजी संख्या 875 रकबा 0.44 है. में से रकबा 0.06 हैक्टैयर भूमि पर अपीलांट द्वारा पक्की चार दिवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से होटल व्यवसाय कर नाजायज कब्जा एवं अतिक्रमण मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित भूमि चारागाह होना मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि उक्त विवादित भूमि चारागाह नहीं होकर उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट का 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट 40 वर्षो से वहां मकान बनाकर उसी मकान में होटल का व्यवसाय कर आय अर्जित कर रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना कोई साक्ष्य लिए और अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिनांक 15.05.2025 को निर्णय पारित कर अपीलांट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आदेश की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.06.2025 को संबंधित पटवार हल्का द्वारा जानकारी देने पर हुई जिस पर अपीलांट ने अविलम्ब दिनांक 09.06.2025 को ही अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया व नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.05.2025 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से पक्की चार दीवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर होटल का व्यवसाय कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांट स्वयं दिनांक 03.04.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब पेश किया है। अपीलांट द्वारा जवाब पेश करने के पश्चात् बहस हेतु पेशी दिनांक 28.04.2025 नियत की गई किन्तु पेशी दिनांक 28.04.2025 को अपीलांट के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट का कथन कि बिना कोई साक्ष्य लिए अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को बिना सुनवाई का अवसर दिए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में राजस्व ग्राम गोपालनगर की प्रश्नगत आराजी नम्बर 875 रकबा 0.44 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर 40 वर्षों से कब्जा होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

पटवार हल्का मानपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोपालनगर की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 875 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि है जिसमें से रकबा 0.06 हैक्टैयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर पक्की चार दीवारी बनाकर होटल का व्यवसाय कर रहा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत् प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। अतः भूमिधारी तहसीलदार, बस्सी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

पटवार हल्का मानपुरा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम गोपालनगर की आराजी नम्बर 875 रकबा 0.44 है. में से रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। यह भूमि किस्म चारागाह होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है तथा प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2025 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(आलोक रंजन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official